[9/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 2120]

परिशिष्ट"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2120 द्वारा श्री राजेश कुमार शुक्ला मान. सदस्य।

सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं की इकाई प्रदेश में स्थापित हो सके, इस हेतु विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों और योजनाओं का विवरण -

1.1 उद्योग आकर्षण के लिए लक्षित रोड शो:

मध्य प्रदेश को वैश्विक ईएसडीएम मानचित्र पर लाने के लिए, हम लक्षित रोड शो आयोजित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करने और हमारे नीतिगत लाभों, कुशल कार्यबल और विकास के अवसरों को उजागर करके अग्रणी उद्योगों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

1.2 ईएसडीएम संघों के साथ रणनीतिक साझेदारी:

हम ELCINA और IESA जैसे अग्रणी ESDM औद्योगिक संघों के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी कर रहे हैं। इन सहयोगों का उद्देश्य मध्य प्रदेश के ईएसडीएम परिदृश्य को मजबूत करना और उद्योग हितधारकों के साथ प्रभावी आउटरीच रणनीतियों को लागू करना है।

1.3. वैश्विक आयोजन भागीदारी:

मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ाने के लिए हम वैश्विक आयोजनों और प्रदर्शनियों में भाग ले रहे हैं। यह राज्य की ईएसडीएम क्षमताओं को प्रदर्शित करता है और सीमा पार सहयोग और निवेश के द्वार खोलता है।

हमारी रणनीति मध्य प्रदेश को ईएसडीएम क्षेत्र का केंद्र बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमारा मानना है कि इन ठोस प्रयासों के माध्यम से, हम एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं जो नवाचार, विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल है।

मध्य प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) में निवेश को आकर्षित करने और बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसके मुख्य बिंदु हैं:

- सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना,
- बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाना,
- लक्षित प्रचार गतिविधियों का संचालन करना और रणनीतिक साझेदारी बनाना।

इसके लिए विस्तृत योजना नीचे दी गई है:

2.1 मध्य प्रदेश आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत ईएसडीएम इकाइयों के लिए सहायता/प्रोत्साहन:

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

a) भूमि पर छूट: भूमि पर 75% तक की आकर्षक छूट , जिससे ईएसडीएम इकाइयों के लिए प्रारंभिक निवेश बोझ काफी कम हो गया है।

b) पूंजीगत व्यय सहायता: पूंजीगत व्यय का समर्थन करने के लिए ₹150 करोड़ तक 40% की सहायता प्रदान कर रहे हैं, जो उद्योग में सबसे उदार प्रस्तावों में से एक है।

c) ब्याज सहायता: किफायती वित्तपोषण के महत्व को पहचानते हुए, हम सावधि ऋण पर ₹10 करोड़ तक 6% की ब्याज सहायता कर रहे हैं।

d) परीक्षण, अंशांकन और प्रमाणन सहायता: उच्चतम गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण, अंशांकन और प्रमाणन के लिए ₹10 लाख तक की सहायता प्रदान कर रहे हैं।

e) पेटेंट दाखिल करने में सहायता: ईएसडीएम क्षेत्र में विकास के लिए नवाचार महत्वपूर्ण है। हम पेटेंट दाखिल करने के लिए ₹10 लाख तक की सहायता प्रदान कर रहे हैं।

स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क प्रतिपूर्ति: हम भूमि पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति कर रहे हैं।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग